रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 1972/भाद्र 21, 1894
No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1972/BHADRA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th September 1972

SUBJECT.—*Export on confirmed/out-right sale basis of Cut/Polished Precious/Semi Precious Stones. (Amendment No. 21).*

No. 132-ITC(PN)/72.—Reference Paragraph 53 of Part E Section I—Volume II of the Red Book for 1972-73.

2. It has been decided that in respect of exports made on or after 1st July, 1972 exporters of Cut/Polished Precious/Semi Precious Stones would get their export incentives for exports on confirmed/out-right sale basis on the basis of furnishing proof of physical exports and negotiation of export documents instead of proof of realisation of foreign exchange. These exports are to be treated on the same footing as exports of Cut/Polished Diamonds in terms of above paragraph.

3. It has also been decided that the Serial Number against Cut and Polished Turquise Stones (page xxxix of Index) be amended to read as S.3.2.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 सितम्बर 1972

विषय : तराशे हुये/पालिश किये हुये बहुमूल्य, कम बहुमूल्य रत्नों का निश्चित/एकदम बिक्री के आधार पर निर्यात । (संशोधन संख्या 21)

संख्या 132-आई० टी० सी० (पी एन)/72 संदर्भ:—1972–73 अवधि की रेड बुक वा० 2 के भाग ई खण्ड 1 का पैरा 53

2. यह निश्चय किया गया है कि तराशे हुये/पालिश किए हुये बहुमूल्य/कम बहुमूल्य रत्नों के निर्यातक 1-7-1972 को या इससे बाद में किये गये निर्यातों के सम्बन्ध में निश्चित/एकदम बिक्री के आधार पर निर्यातकों के लिये अपने निर्यात प्रोत्साहन विदेशी मुद्रा की वसूली के प्रमाण प्रस्तुत करने के बजाय वास्तविक निर्यातों के प्रमाण और निर्यात दस्तावेजों के परक्रामण प्रस्तुत करने पर प्राप्त करेंगे । ये निर्यात उसी आधार पर समझे जाते हैं जिस आधार पर उपर्युक्त पैरा के अनुसार तराशे हुये/पालिश किये हुये हीरों के निर्यात हैं ।

3. यह भी निश्चय किया है कि तराशे हुये और पालिश किये हुये फिरोजा रत्नों (सूचक का पृष्ठ 39) के सामने की क्रम संख्या को संशोधित कर एम–3.2 पढ़ा जाये ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972